

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2602 / 2008

अमर सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमावत ने दिनांक 13.07.2023 को उन्होंने यह जाहिर किया कि उन्हें अपीलार्थी की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं किये थे। जिस पर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अधिकरण में उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है। अतः अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)